



# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(356/34)2019/एफसीए/प्रमुवसं/ 1833

दिनांक 25/5/22

शासन सचिव

वन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:—Diversio'n of 1.789 ha. of forest land in favour of Ajmer Development Authority for Widening of Road and Construction of Divider from Sr. School Lohagal to police Chowki Shastri Nagar Ajmer, District-Ajmer, Rajasthan.

संदर्भ:—राज्य सरकार, पत्रांक प.1(14)वन/2022 दिनांक 10.02.2022


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के पत्रांक 745 दिनांक 11.03.2022 से प्राप्त सूचना/टिप्पणी (प्रति संलग्न है) इस कार्यालय की सहमति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र. सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1.	विषयांकित प्रस्ताव में सड़क के चौड़ीकरण एवं डिवाइडर के निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही है। अतः सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है तो क्या सड़क पहले से प्रत्यावर्तन है या 1980 से पूर्व सड़क है?	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है, कि उक्त सड़क पहले से प्रत्यावर्तित नहीं है वरन् 1980 से पूर्व की है।
2.	प्रस्ताव में सड़क के दोनों ओर वन विभाग द्वारा दीवार का निर्माण होना प्रतित हो रहा है, स्थिति स्पष्ट करावें क्या उक्त दीवार को ध्वस्त किया जाना है। यदि हां तो पुनः दीवार के निर्माण का कार्य किस स्तर पर किया जाना होगा।	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क की चौड़ीकरण में वन विभाग द्वारा निर्मित दीवार को ध्वस्त नहीं किया जावेगा।

संलग्न:—उक्तानुसार।

भवदीया,

  
(खुशी माथुर)

मुख्य वन संरक्षक (प्रोटेक्शन)

अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(356/34)2019/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:—मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(भवानी सिंह)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: [ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in), [ccf.ajmr.forest@gmail.com](mailto:ccf.ajmr.forest@gmail.com) Tel no.: 0145-2426740



कमांक एफ 11(88अ)एफसीए/मुवस/2021/145  
निमित्त,

दिनांक:- 11/03/22

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Diversion of 1.789 ha. forest land for widening of road and construction of divider from Sr. School Lohagal to Police Chowki, Shastri Nagar, Ajmer, Rajasthan. FP/RJ/ROAD/42702/2019

सन्दर्भ:-आपके कार्यालय का ऑन लाईन ईडीएस दिनांक 14.02.2022 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित ऑन लाईन ईडीएस के कम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक, अजमेर से निम्न जवाब प्राप्त हुआ है (प्रति संलग्न), जो अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्र. सं.	आक्षेप	आक्षेप का जवाब
1	विषयवर्ती प्रस्ताव में सड़क के चौड़ीकरण एवं डिवाइडर के निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही है। अतः सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है तो क्या सड़क पहले से प्रत्यावर्तित है या 1980 से पूर्व की सड़क है।	उप वन संरक्षक, अजमेर के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त सड़क पहले से प्रत्यावर्तित नहीं है वरन् 1980 से पूर्व की है।
2	प्रस्ताव में सड़क के दोनों ओर वन विभाग द्वारा दीवार का निर्माण होना प्रतित हो रहा है, स्थिति स्पष्ट करावे क्या उक्त दीवार को ध्वस्त किया जाना है। यदि हां तो पुनः दीवार के निर्माण का कार्य किस स्तर पर किया जाना होगा।	उप वन संरक्षक, अजमेर के माध्यम से प्रयोक्ता अभिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि सड़क की चौड़ाईकरण में वन विभाग द्वारा निर्मित दीवार को ध्वस्त नहीं किया जावेगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(महेश चन्द गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।



कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

वन भवन, जयपुर रोड, अजमेर दूरभाष संख्या- 0145-2429796 (ऑफिस) | E-Mail-[dcfajmer.forest@rajasthan.gov.in](mailto:dcfajmer.forest@rajasthan.gov.in)  
 क्रमांक:-एफ14( )एफसीए/उवसं/2021-22/ दिनांक :-  
 निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक,  
 अजमेर।

विषय:- Diversion of 1.789 hectare forest land for Widening of road and construction of divider from Sr. school Lohagal to police chowki Shastri Nagar Ajmer, District Ajmer Rajasthan. Forest Diversion proposal under forest (Conservation) Act, 1980. Proposal No. FP/RJ/ROAD/42702/2019  
 संदर्भ:- आपके द्वारा लगाये गये ऑनलाईन आक्षेप दिनांक 17.02.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् द्वारा उच्च कार्यालय से प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति चाही गई थी। इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर द्वारा पत्रांक 5825-26 दिनांक 24.02.2022 से जवाब प्रस्तुत किया गया है। उक्त की बिन्दुवार पूर्ति निम्नानुसार है:-

क्र.स.	विन्दु आक्षेप	टिप्पणी
1.	विप्याकित प्रस्ताव में सड़क के चौड़ीकरण एवं डिवाइडर के निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही है। अतः सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है तो क्या सड़क पहले से प्रत्यावर्तित है या 1980 से पूर्व की सड़क है ?	इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त सड़क प्रत्यावर्तित नहीं है एवं 1980 से पूर्व की है।
2.	प्रस्ताव में सड़क के दोनों ओर वन विभाग द्वारा दीवार का निर्माण होना प्रतीत हो रहा है, स्थिति स्पष्ट करावे क्या उक्त दीवार का ध्वस्त किया जाना है। यदि हाँ तो पुनः दीवार के निर्माण का कार्य किस स्तर पर किया जाना होगा।	इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क की चौड़ाईकरण में वन विभाग द्वारा निर्मित दीवार को ध्वस्त नहीं किया जावेगा।

संलग्न:- प्रयोक्ता अभिकरण का संदर्भित पत्रांक।

भवदीय,

(सुनील चिद्री)  
 उप वन संरक्षक  
 अजमेर

दिनांक:- 08/03/22

क्रमांक :-सम/ 1912-13

प्रतिलिपि निम्न को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन राजस्थान, जयपुर।
2. अधिशापी अभियन्ता अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।

उप वन संरक्षक  
 अजमेर